न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2024/412

1. सोनी देवी पत्नी हनुमान जाति कुमावत निवासी ग्राम डेहरा तहसील जोबनेर जिला जयपुर।

–अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जोबनेर जिला जयपुर।
2. हनुमान पुत्र कजूराम जाति जाट निवासी गोजडा की ढाणी तहसील जोबनेर जिला जयपुर।
3. तेजाराम पुत्र रामू।
4. पांची देवी पत्नी भागचन्द
5. बादाम देवी पत्नी रामेश्वर
6. मंजू देवी पत्नी धन्ना लाल
7. मोहरी देवी पत्नी नन्दलाल
8. सरजू देवी पत्नी कल्याण (मृतक)
   समस्त जाति कुमावत निवासी ग्राम डेहरा तहसील जोबनेर जिला जयपुर।

–रेस्पोडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा –75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 05.07.2024 बअदालत उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 45/2023 उनवानी तहसीलदार जोबनेर बनाम तेजाराम व अन्य ।

उपस्थित–

1. श्री एच0 एन0 शर्मा वकील अपीलान्ट
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–15.01.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 05.07.2024 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा–5 के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम डेहरा तहसील जोबनेर जिला जयपुर स्थित खसरा नं0 1833/2 रकबा 1.2645 है0 में से 0.0683 है0 तथा खसरा नं0 1833/3 रकबा 0.4426 है0 में से 0.0233 है0 भूमि को गैर मु0 रास्ता दर्ज किये जाने संबंधी अनुशंसा किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर द्वारा प्रचलित रास्ता काश्तकार की खातेदारी में रखते

संभागीय आयुक्त
जयपुर

हुये भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में गैर मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिनांक 05.07.2024 को दिये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 05.07.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट सोनी देवी पत्नी हनुमान जाति कुमावत द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर दिनांक 05.07.2024 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 2 लगायत 7 की ओर से बाद तामिल कोई उपस्थित नहीं। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान लिखित बहस प्रस्तुत कर मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोडेन्ट सख्या 1 तहसीलदार जोबनेर द्वारा अपने पत्रांक भू अभिलेख/2023/2783 दिनाक 25.07.2023 तथा संग्लन नक्शा व मौका रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी जोबनेर के यहाँ दिनांक 25–07–2023 को प्रस्तुत कर ग्राम डेहरा तहसील जोबनेर जिला जयपुर स्थित खसरा नं0 1833/2 रकबा 1.2645 है0 में से 0.0683 है0 तथा खसरा नं0 1833/3 रकबा 0.4426 है0 में से 0.0233 है0 भूमि को गैर मु0 रास्ता दर्ज किये जाने संबंधी अनुशंसा की गई। उक्त अनुशंसा प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 31.08.2023 को आदेश दिया कि अपीलान्ट श्रीमति सोनी देवी के अलावा सभी संबंधित खातेदार की सहमति हैं इस कारण प्रकरण दर्ज कर श्रीमती सोनी देवी को नोटिस जारी किये जावे। दिनांक 05.09.2023 को अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश कर जवाब हेतु निवेदन किया। दिनांक 05.07.2024 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बहस सुनकर उसी रोज अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा के साथ संलग्न दस्तावेजों का कतई अवलोकन नहीं किया तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा में पटवारी हल्का द्वारा अंकित किया गया है कि अप्रार्थी संख्या 7 (हाल रेस्पोडेन्ट 8) फौत होने से उसके पति कल्याण मल ने हस्ताक्षर किये है इस प्रकार अदालत मातहत ने मृत व्यक्ति के विरुद्ध आदेश पारित कर भारी कानूनी भूल की है। इसलिये अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है। तहसीलदार ने अधीनस्थ न्यायालय में कृषि भूमि को गैर मु0 रास्ते के अंकन हेतु जो अनुशंषा प्रस्तुत की है उसके साथ जो मौका रिपोर्ट दिनांक 06–7–2023 पेश की है वह पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार द्वारा किये गये, आदेश दिनांक 05–7–2023 के आधार पर तैयार की गई जबकि मौका रिपोर्ट तहसीलदार या नायब तहसीलदार अथवा भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौका निरीक्षण के बाद ही तैयार की जानी चाहिये थी। राजस्व मण्डल के निर्णय भी यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है उक्त प्रकरण में पटवारी ने ही मोका निरीक्षण कर मौका रिपोर्ट तैयार की है जो मौका निरीक्षण करने में सक्षम ही नहीं था ना है। मौका रिपोर्ट पर भू अभिलेख निरीक्षक व तहसीलदार के हस्ताक्षर है। अपीलान्ट के पुत्र का पुख्ता मकान खसरा नम्बर 1833/2 में करीब 20 वर्ष पूर्व से ही बना है जिसमें नल बिजली का कनैक्शन लगा हुआ तथा उसमें अपीलान्ट का पुत्र निवास कर रहा हैं पटवारी हल्का मौका निरीक्षण करते समय इस बात कतई गौर नहीं किया एवं तथ्यो को छिपाकर रेस्पोडेन्ट सख्या 2 से साठ गाठ

संभागीय आयुक्त
जयपुर

कर मौका रिपोर्ट तैयार की है अधीनस्थ न्यायालय ने उसी रिपोर्ट को आधार मानकर जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है वह तथ्यो के विपरीत होने से काबिले निरस्त किये जाने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश के माध्यम से अपीलान्ट के खसरा नम्बर 1833/2 रकबा 1.2645 है0 में से 0.0683 है0 तथा खसरा नम्बर 1833/3 रकबा 0.4426 है0 में से 0.0233 है0 भूमि अवाप्त की गई है। जबकि विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि रास्ते के लिये सींव जोड खातेदार काश्तकारों से बराबर बराबर भूमि ली जाकर रास्ता निकाले जाने का कानूनी प्रावधान है। उक्त तथ्यों को नजर अदोज कर केवल मात्र अपीलान्ट की भमि को कम करने के नियत से उक्त रास्ता विधि विरुद्ध तरीके से पारित किया गया है जो निरस्तनीय है।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में तहसीलदार जोबनेर की रिपोर्ट का जो अंकन किया है वह कतई गलत है विवादित आराजी में न तो वर्तमान में रास्ता मौजूद ना ही पूर्व में रास्ता मौजूद था उक्त रिपोर्ट अपनी मनमर्जी से तैयार कर प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों की जॉच व अवलोकन किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 05.07.2024 को निरस्त किया जावे एवं प्रकरण को अपीलान्ट को सुनकर एवं मौके की रिपोर्ट मंगवाकर निर्णित किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें ।

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार जोबनेर ने जो रास्ता प्रस्ताव भेजा है उसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि प्रस्तावित रास्ता मौके पर बना हुआ है जो कि लगभग 50 वर्ष पूर्व का बताया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का व तहसीलदार की मौका रिपोर्ट दिनांक 06.07.2023 के आधार पर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी एवं तहसीलदार अभिशंसा के तहत् भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 एवं भू–राजस्व अभिलेख नियम 1957 के 58, 59, 60 व 86 के प्रावधानों व पहलुओं पर विचार कर विधिक प्रक्रिया के तहत ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जिला जयपुर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया एवं अपीलांट के योग्य अधिवक्ता व राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। न्यायहित में अपीलाधीन आदेश की नकल दिनांक 08.08.2024 को प्राप्त होने से नरमी का रूख अपनाते हुये अपीलांट का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमें उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131, 132 एवं भू–राजस्व अभिलेख नियमावली 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानों के तहत् कदीमी प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश दिए

संभागीय आयुक्त
जयपुर

गए हैं। उक्त आदेश से अपीलार्थी की खातेदारी भूमि में कोई कमी नहीं की गई है और भूमि के वास्तविक उपयोग को ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया है। प्रकरण में अपीलार्थीया के अलावा समस्त खातेदार सहमत भी हैं। अपीलार्थीया द्वारा अपील में किसी सारभूत विधिक आपत्ति का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः अपील में कोई विधिक बल निहित न होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि: उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत अपील सारहीन व विधिक बलहीन होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जिला जयपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.07.2024 यथावत रखा जाता है।

(रश्मि गुप्ता)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 15.01.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।